

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 के नियम 129)

आदेश पत्रक ता० से तक

केस का प्रकार TA Misc. Case No. 195/2019-20

आदेश पत्रक संख्या क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ												
16.1.2020	आवेदक/आवेदिका (1) करकी देवी, पति-स्व० सुनील रवानी, (2) निर्मला देवी, पति-स्व० सिदम रवानी, जाति-कहार (अ.पि.वर्ग), ग्राम-दंदासाई, वार्ड नं०-05 चक्रधरपुर, थाना-चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। मौजा-लौड़िया, थाना नं०-73, खाता नं०-89, खेसरा नं०-251, रकवा-0.05 ए० क्रेता श्रीमति ओमोला महतो, पति-संजय महतो, जाति-कुर्मी (अ.पि.वर्ग), ग्राम-ओटार, थाना-कराईकेला, जिला प० सिंहभूम के पास जमीन बक्री/भू-हस्तांतरण हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रोभिजो "ए./बी." के अंतर्गत अनुमति हेतु आवेदन समर्पित किया है। जमीन का विवरण:- <table><tr><th>मौजा</th><th>थाना सं०</th><th>थाना</th><th>खाता सं०</th><th>खेसरा सं०</th><th>रकवा एकड़ में</th></tr><tr><td>लौड़िया</td><td>73</td><td>-</td><td>89</td><td>251</td><td>0.05 ए०</td></tr></table> आवेदक बच्चे की शिक्षा हेतु 2,00,000/- (दो लाख) रुपये की आवश्यकता होने के कारण आवेदित भूमि का कुल रकवा 0.05 ए० को कुल कीमत 2,00,000/- (दो लाख) रुपये मात्र में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रोभिजो "ए./बी." के अंतर्गत बिक्री करना चाहते हैं। आम सूचना निर्गत करें और अंचल अधिकारी चक्रधरपुर से अपना जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट मंतव्य सहित दिनांक 31.1.2020 तक मांग करें। अभिलेख दिनांक 1.2.2020 को उपस्थापित करें।	मौजा	थाना सं०	थाना	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा एकड़ में	लौड़िया	73	-	89	251	0.05 ए०	
मौजा	थाना सं०	थाना	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा एकड़ में									
लौड़िया	73	-	89	251	0.05 ए०									

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

16.1.20
भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।